



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या 1358/X-3-25/01(170)/2018/E-84504

देहरादून, 05 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प० आ०-53

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है० हस्तान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड (अन्य कारणों से बंजर भूमि) 5.040 है० भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	तहसील	खाता संख्या	खेत सं०	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	अल्मोड़ा	कुन्थारी	मल्ली मिरई	द्वाराहाट	17 / 43	177 179 184 273 198 209 225 714	0.520 0.570 0.069 0.190 0.320 1.754 0.418 1.199	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
योग—							5.040	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

कहकशां नसीम,

अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1358/X-3-25/01(170)/2018-E-84504 Dehradun, dated August 05, 2025 for general information:

No. 1358/X-3-25/01(170)/2018-E-84504

Dated Dehradun, August 05, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga land (for other agricultural use barren land) total 5.040 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Almora to the forest department for compensatory plantation against the 2.52 hectare Reserve Forest land transferred respectively for the construction of road from Shahid Hari Singh Motor Road-Taulbudhani to Ratkhal in District Almora, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Patti	Tehsil	Khata No.	Khet No.	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Almora	Kunthari	Malli Mirai	Dwarahat	17/43	177	0.520	Category-9(3)anga
						179	0.570	
						184	0.069	
						273	0.190	
						198	0.320	
						209	1.754	
						225	0.418	
						714	1.199	
						Total:-		5.040

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KAHKASHAN NASEEM,

Additional Secretary.